


व तारीख  
म जो इस  
की तामील  
जारी हुए

<p>तारीख हुकम</p>	<p>७०१० - ६६/२०२४ हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उत्तर - लाला बनाम धारन-६</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>८-९-२५</p>	<p>पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के अवकाश / अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी पेशी दिनांक ...०६/१०/२५..... को पेश हो।</p>	
<p>६/१०/२५</p>	<p>पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के अवकाश / अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी पेशी दिनांक ...१०/११/२५..... को पेश हो।</p>	
<p>१०/११/२५</p>	<p>पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के अवकाश / अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी पेशी दिनांक ...०२/१२/२५..... को पेश हो।</p>	
<p>२/१२/२५</p>	<p>पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के अवकाश / अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी पेशी दिनांक ...२३/१२/२५..... को पेश हो।</p>	
<p>२३/१२/२५</p>	<p>पत्रावली पेश / जज श्री अम्बिका देवी उपाधी अम्बिका देवी उपाधी की ओर से बहम (समाप्त) की गयी। कसौ जज अम्बिका देवी उपाधी व रिक्वेस्ट बिना की अजय लाल ने ललाकन ३ व विद्वत् आचार्य निष्पेक्षा आदी किये जाते के आदेश उडाग हैं। जज अम्बिका देवी उपाधी पर भक्त व इनाम / पत्रावली व अवकाश</p>	

तारीख हुकम उपनाम	७०९०- 66/2024 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नामा वनाम वावर-५	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी है
	<p>           उपरोक्त जमीन-पत्र जारी का स्वीकार            किया जाता है। उपरोक्त जमीन स. 1 से            3 को आवाह निषेधाज्ञा से पांच            किया जाता है। पत्र के चरण स. 2            में वाली भूमि में उपरोक्त            संख्या 1 से लगातार 3 जमीन के 1/2            हिस्से में अथवा अमानिस्त्रु रूप से            प्रवेश न करें। जमीन की धार भूमि            में शान्तिपूर्वक धार वर्ष में कवाच            पैदा न करें। न तो ऐसा स्वयं करें            एक न ही किसी रूप में प्रतिक्रिया            के माध्यम से ऐसा हुकम द्वारा।            अतः जमीन का पत्र स्वीकार            का मूल वाक के निस्तारण तक मौके            की अमानिस्त्रु बनाए रखते हेतु            उपरोक्त के विकट आवाह            निषेधाज्ञा जारी की जाती है।            निर्णय शुभ न्यायमय (उपनाम) जज            प्रवाणी केसल शुभार व नम्बर            से कर की जावत शांतिमय वस्तु         </p> <p style="text-align: right;">             उपखण्ड अधिकारी            बांसवाड़ा (राज.)         </p>	